पंचम माला, खंड 62, अंक 42, बुधवार, 19 मई, 1976/29 वैशाख, 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LXII, No. 42, Wednesday, May 19, 1976/Vaisakha 29, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 62 में अंक 41 से 48 तक हैं
Vol. LXII contains Nos. 41 to 48]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपए

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi].

विषय सूची/CONTENTS

अंक 42, बुधवार, 19 मई, 1976/29 वैशाख, 1898 (शक)

No. 42, Wednesday, May 19, 1976/Vaisakha 29. 1898 (Saka)

विषय	Subject	Page
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1—3
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	3
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति 16वां प्रतिवेदन	Committee on Government Assurances Sixteenth Report	4
कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक	Workmen's Compensation (Amendment) Bill	
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	4
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai	4
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	4
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	5
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy	5
खण्ड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1	6
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy	6
अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) संशोधन विधेयक	Additional Emoluments (Compulsory) Deposit) Amendment Bill	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	7
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	7
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	8
श्री प्रियरंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munsi	9
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	10
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni	12
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	13
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	14
श्री प्रसन्नभाई मेहता	Shri P.M. Mehta	14
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	15

विषय	SUBJECT	PAGE
श्रीमती एम० गौडफ्रे	Shrimati M. Godfrey	15
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik .	15
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar . .	15
श्री चपलेन्दू भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyya	16
खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव--	Motion to pass—	
श्री सी० सुब्रह्मण्यम्	Shri C. Subramaniam . . .	17
जीवन बीमा निगम (समझौते में रूपभेद) विधेयक	Life Insurance Corporation (Modification of Settlement) Bill	20
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री सी० सुब्रह्मण्यम्	Shri C. Subramaniam . .	20
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee. .	21
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni . .	23
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee . .	24
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	26
श्री भारत सिंह चौहान	Shri Bharat Singh Chowhan .	26
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi	26
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik . .	27
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munsi	27

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 19 मई, 1976/29 वैशाख 1898 (शक)

Wednesday, May 19, 1976/*Vaisakha* 29, 1898 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the Chair]

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

ट्रैक्टर (वितरण और विक्रय) नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, 1976 और भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि०, विशाखापत्तनम् तथा भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लि०, नैनी, इलाहाबाद के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत ट्रैक्टर (वितरण और विक्रय) नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 27 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 318(ङ) में प्रकाशित हुआ था । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी०-10871/76].

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) (क) भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड, विशाखापटनम् के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम् के वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी०-10872/76]

(दो) (क) भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद के वर्ष 1974-75 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-10873/76]

अखिल भारतीय सेवाएं (भविष्य निधि) संशोधन नियम, 1976

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्यविभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 8 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 630 में प्रकाशित हुए थे।

(2) अखिल भारतीय सेवाएं (भविष्य निधि) दूसरा संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 8 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 631 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-10874/76]।

नौसेना अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचना

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नौसेना छुट्टी (दूसरा संशोधन) विनियम, 1976 जो दिनांक 1 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 100 में प्रकाशित हुए थे।

(2) नौसेना (पेंशन) दूसरा संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 8 मई, 1976 के भारत के राज पत्र में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 108 में प्रकाशित हुए थे।

(3) नौसेना (पेंशन) तीसरा संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 8 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 109 में प्रकाशित हुए थे।

(4) नौसेना (पेंशन) चौथा संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 8 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 114 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिय संख्या एल० टी०-10875/76]।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और विलम्ब के कारण बताने वाले विवरण के साथ दामोदर घाटी निगम का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Sidheshwarr Prasad) : I beg to lay on the Table :

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Damodar Valley Corporation along with the Audit Report on the accounts thereof for the year 1972-73, under sub-section (5) of section 45 of the Damodar Valley Corporation Act, 1948.

(2) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the above Report.

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिय** संख्या एल० टी०-10876/76]

निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) जूतों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 1 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1536 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) तेल-रहित चावल खली का निर्यात (निरीक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 1 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1537 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कराया गोंद का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 1 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1538 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी०-10877/76]

राज्य सभा से संदेश

Messages from Rajya Sabha

महा सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(एक) कि राज्य सभा ने 18 मई, 1976 की अपनी बैठक में केन्द्रीय तथा अन्य सोसाइटियां (विनियमन) विधेयक, 1974 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय राज्य सभा के 97वें सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाने के बारे में एक प्रस्ताव पास किया है।

(दो) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 11 मई, 1976 को पास किये गये विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1976 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

Committee on Government Assurances

16 वां प्रतिवेदन

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच-बिहार): मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का 16वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक—जारी

Workmen's Compensation (Amendment) Bill—Contd.

Shri Ram Singh Bhai (Indore): There is no doubt that this amendment is undispensable. But while passing it there are certain things which needed consideration. The Minister stated that this amendment will be effective from October, 1975. It is not known what is the logic behind it. It should be made effective from October, 1974 when the consumer cost of living index had reached the highest figure of 355. In fact I raised the matter in the consultative committee in January, 1974 when the prices started rising and impressed upon the Minister the need for amending the E.S.I. Act. It is hoped that the Minister will reconsider the whole matter and make it effective from October, 1974 so that the interest of the workers is protected.

The other submission which I want to make is that in view of the great responsibility shouldered by the Labour Ministry, its status should be raised. But we find that the size of the Ministry has been reduced to half. In the past the Labour Minister used to have two deputy Ministers. In view of the industrial development that has taken place in the country the Labour Minister should be of Cabinet rank and there should be a separate Deputy Minister to deal exclusively with the E.S.I and workemen's compensation.

At present there is much delay in the payment of compensation to the workers. The Minister should pay attention to it and ensure that there is no delay. Also, there is need to amend the Workmen's Compensation Act. The present provision is that if a worker dies while working, his family gets compensation. This is not enough. If a worker dies in an accident while going to work or while coming back then also his family should get compensation.

श्री बी० वी० नायक (कनारा): मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । इस प्रकार मुआवजा देकर हम अपना कर्तव्य ही निभा रहे हैं ।

बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए पात्रता की सीमा 500 रुपये से बढ़ा कर 1000 रुपये करना ठीक ही है।

जो मजदूर असंगठित उद्योगों में लगे हैं उनकी गणना की जाए तथा उनके लिए कल्याणकारी श्रम कानून बनाया जाना आवश्यक है । दुर्घटना अथवा मृत्यु या अंग भंग के संबंध में कोई निश्चित

कानून नहीं है । हवाई जहाज या रेल दुर्घटना के संबंध में मुआवजे की व्यवस्था है परन्तु सडकों आदि पर होने वाली दुर्घटनाओं के लिए नहीं, जहां सबसे अधिक मौतें होती हैं । अतः इस संबंध में एक व्यापक कानून बनाया जाए ।

आशा है इस विधेयक से बड़ा लाभ होगा । परन्तु मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि कर्मचारी-कर्मचारी में भेद न किया जाए । जहाज आदि में अंग भंग, मृत्यु आदि पर अत्यधिक मुआवजा दिया जाता है जबकि अन्य को कम । इस असमानता को कम किया जाए ।

Shri M. C. Daga (Pali) : At present there is no provision for medical care and treatment of the worker when he meets with an accident. There is also no provision for rehabilitation to restore the loss in his earning capacity. Three things require serious consideration.

According to the Workmen's Compensation Act if a worker whose employment is of a causal nature, meets with an accident then he will not be entitled to compensation. This is something wrong and should be amended.

The amount of compensation provided in the schedule is very meagre. When in an air accident a victim gets Rs. 1 lakh why so little amount has been provided here? It would be increased. Provision should also be made to give employment to the son of a worker who dies in any accident as is done in the Railways and Defence forces.

The Minister should also consider the case of a small factory owner, who has invested only Rs. 50,000 in his factory. If the worker dies for no fault of the owner then the latter should not be compelled to pay any compensation.

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक के उपबन्धों का पूर्ण समर्थन किया है। हम अब कर्मकार प्रतिकार अधिनियम के विशेष पहलुओं पर विचार कर रहे हैं । कल श्री इस्माइल ने पूछा था कि क्या नाविक भी इस अधिनियम में आते हैं और मैंने उन्हें उसी वक्त बता दिया मूल अधिनियम और अधिनियम की सूची 2 के अन्तर्गत नाविक भी इसमें आ जाते हैं अतः मेरे विचार में श्री इस्माइल को इस बारे में संतुष्ट होना चाहिए। माननीय सदस्य श्री डागा ने नैमत्तिक श्रमिकों के संबंध में पूछा है जो कर्मकार नियोजकों के व्यवसाय में नैमत्तिक रूप से लगे हुए हैं वह भी इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार में आते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न अधिनियम के लागू होने की तिथि के बारे में उठाया गया है । प्रश्न यह किया गया है कि यह कोई और तिथि हो सकती है । यदि हमने इस विधान को पूर्वव्याप्ति तिथि से लागू नहीं किया तो यह केवल अग्रदर्शी ही हो सकता है । सदन को पता होगा कि 1 अक्तूबर 1975 के बाद चासनाला दुर्घटना सहित बहुत सी दुर्घटनाएं हुई हैं । अतः हमने सोचा है कि हम उन सभी अभागे परिवारों को उसका लाभ दें जिनके आश्रयदाताओं का नवम्बर या दिसम्बर 1975 में देहांत हो गया है ।

जहां तक प्रतिकर के प्रश्न का संबंध है यह उस श्रमिक के बारे में है जो फैक्टरी में काम करता है और जो न केवल अपने परिवार का ही पोषण करता है अपितु राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सम्पत्ति में अंशदान करता है । यदि ऐसा श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए या वह अपंग हो जाए तो उसे प्रतिकर मिलना ही चाहिए ।

जब किसी रेल यात्री की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 50,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। विमान दुर्घटना में मरने वाले यात्री के परिवार को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है । यह पूछा गया है कि क्या यह कारखाने में काम करने वाले गरीब के साथ भेद-भाव नहीं है । इन दोनों में भेद यह है कि विमान अथवा रेल से यात्रा करने वाले व्यक्ति को किराया देना पड़ता है और वह वाणिज्यिक वाहन से यात्रा करता है । यात्री के प्रति एक प्रकार का संविदात्मक दायित्व हो जाता है कि वाणिज्यिक वाहन यात्री को उसके गंतव्य स्थान तक सुरक्षित ले जाएगा और यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो इस दायित्व का पालन न करने के कारण उसे प्रतिकर का भुगतान किया जाता है । लेकिन फैक्टरी में काम करने वाले कर्मकार को वेतन मिलता है उसके रोजगार की अवधि में या बाद में कोई दुर्घटना हो जाती है तो वह प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है । इसलिए कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत निहित प्रतिकर के सिद्धांतों और रेल या विमान अथवा किसी अन्य वाहन से यात्रा करने वाले यात्री के बीच कोई समानता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे । चूंकि संशोधन नहीं है मैं सभी खण्डों को इकट्ठा करता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि क्लाज 2 से 4, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

कि खण्ड 2 से 4, खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 2 to 4, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) संशोधन विधेयक

Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Amendment Bill

वित्त मंत्री (श्री श्री० सुब्रह्मण्यम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

उन परिस्थितियों से सदन अच्छी तरह अवगत है जिनके वशीभूत होकर राष्ट्रपति को 6 जुलाई 1974 को अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अध्यादेश जारी करना पड़ा और फिर बाद में इस अध्यादेश के स्थान पर अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम लागू करना पड़ा । जब जुलाई 1974 में मुद्रास्फीति विरोधी एकमुश्त कदम उठाए गए थे तो उस समय यह स्पष्ट कर दिया गया था कि उसके परिणाम निरन्तर प्रयास करते रहने से कुछ देर बाद निकलेंगे । इन उपायों के साथ-साथ समाज विरोधी आर्थिक गतिविधियों के विरुद्ध तेज किए गए सभी प्रकार के उपाय और तदनुवर्ती अनुशासन की भावना तथा आपात स्थिति की घोषणा से इन सभी उपायों के प्रति मार्गनिर्देश और निष्ठा से सुपरिणाम निकले हैं । आज कर्मचारी का आधा अतिरिक्त महंगाई भत्ता अनिवार्य निक्षेप में जमा करने के बाद उसको जुलाई 1974 में मिलने वाले वेतन से भी अधिक वेतन मिलता है जिसे वह अपने घर ले जाता । सरकार निसंदेह अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार रोके गए महंगाई भत्ते को ब्याज के साथ उसे देने के लिए वचनबद्ध है । लेकिन अपेक्षाकृत अधिक वचनबद्धता सभी वर्गों की वास्तविक आय की रक्षा करने की है और यह नए कार्यक्रम के अन्तर्गत और अधिक आर्थिक विकास के लिये पूर्वपेक्षित है । कुल मिलाकर अतिरिक्त वेतन निक्षेप की राशि लगभग 50 करोड़ रुपये हो गई और इसकी पहली किश्त की अदायगी, ब्याज की अदायगी पहले ही कर दी गई है।

अतिरिक्त महंगाई भत्ते की राशि अब लगभग 900 करोड़ रुपये हो गई है और जून 1976 के अन्त तक कुल राशि 1,000 करोड़ रुपये हो जाएगी । अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार ब्याज सहित इस जमा राशि के भुगतान से प्रत्यधन मुद्रास्फीति का दबाव नहीं पड़ना चाहिये । मुद्रास्फीति की समस्या केवल उत्पादन और उत्पादिता में वृद्धि करने से ही रोकी जा सकती है । इसके लिए हमें न केवल अपनी उपलब्धियां ही एकत्र करनी हैं बल्कि हमें यथा संभव इसमें और सुधार भी करना है । सदस्यों को इस परिप्रेक्ष्य में ही इस विधेयक के उपबन्धों पर विचार करना चाहिए ।

विधयक के खण्ड 2 में अधिनियम की धारा 6 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे अतिरिक्त महंगाई भत्ते के अनिवार्य निक्षेप की अवधि नियत दिन (अर्थात् 6 जुलाई, 1974) से 2 वर्ष के बजाए 3 वर्ष करने का उपबन्ध है ।

अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करने वाले विधेयक के खण्ड 3 में बढ़ाई गई अवधि के दौरान अवरुद्ध की गई अतिरिक्त महंगाई भत्ते की राशि और उस पर लगे ब्याज का भुगतान किए जाने का उपबंध है । अतिरिक्त वेतन निक्षेप की तीसरी किश्त और पहले अतिरिक्त महंगाई भत्ते की दूसरी किश्त का जुलाई 1977 से भुगतान किया जाना है और यह राशि काटना भी बंद कर दिया जाएगा । इन सभी कदमों से मुद्रास्फीति के प्रभावों पर भी ध्यान दिया जाएगा अतः यह आवश्यक समझा गया है कि जुलाई, 1978 से इस राशि का भुगतान नकद न करके कर्मचारियों की भविष्य निधि में जमा कर दिया जाए । ब्याज सहित पांच समान वार्षिक किश्तों का भुगतान उनकी भविष्य निधि में जमा करने से आगामी वर्षों में धन के अवांछित परिचालन पर भी रोक लगेगी ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं इस विधेयक का कड़ा विरोध करता हूं मूल विधेयक में यह व्यवस्था थी कि सरकार केवल दो वर्ष के लिए ही 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते की राशि अवरुद्ध करेगी लेकिन अब इसे एक वर्ष के लिए और जमा करने का प्रस्ताव किया जा रहा है । अब तक वित्त मंत्रालय ने हमें इस बारे में जानकारी नहीं दी कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र क कर्मचारियों का इस राशि के रूप में कितना धन इकट्ठा हो गया है ।

इस विधेयक के उद्देश्य और कारण बताने वाले विवरण में कहा गया है कि यह उपाय औद्योगिक श्रमिकों और वेतन भोगी कर्मचारियों, जो मूल्य वृद्धि से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, की वास्तविक आय की सुरक्षा के लिए उठाया गया है । यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है । यह केवल श्रमिकों और कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगाने के लिये सरकार ने और आगे कदम उठाया है । इतना ही नहीं दूसरे रूप में यह वेतन में स्खलन पैदा करता है ।

सरकार ने कहा है कि मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि पर काबू कर लिया गया है लेकिन यह सच नहीं है कि आज भी आपात स्थिति के बहाने सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों के बाद भी श्रमिकों और कर्मचारियों के प्रतिदिन की उपयोग की वस्तुओं के वास्तविक मूल्य कम नहीं हुए हैं । वस्तुतः मूल्य बढ़ रहे हैं और 3 प्रतिशत से अधिक मूल्य वृद्धि हुई है । महंगाई भत्ता जीवन निर्वाह सूचकांक में वृद्धि को निष्प्रभावित करने के लिए दिया जाता है । लेकिन किसी कर्मचारी के मामले में भी शत प्रतिशत निष्प्रभाव नहीं हुआ है । अतः यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि इस उपाय से श्रमिकों की वास्तविक आय की सुरक्षा होगी । मैं यह विशिष्ट रूप से कहूंगा कि यह उनकी मजूरी में कटौती है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के साथ एक समझौता किया गया था और अब सरकार उसे छीन रही है । इस प्रकार यह सरकार कार्य कर रही है । आप जितने आश्वासन दे लें, घोषणाएं कर लें मैं यही कहूंगा कि यह विधेयक जन विरोधी तथा कर्मचारी विरोधी है। पहले इस राशि को 2 वर्ष के लिए अवरूद्ध किया गया और अब आप एक वर्ष तक और कर्मचारियों की इस राशि को रोके रखना चाहते हैं हो सकता है अगले वर्ष फिर आप ऐसा विधेयक ले आएं । अतः मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वह कर्मचारियों की आय जैसे गंभीर मामले में इस प्रकार का रवैया न अपनाएं ।

यह कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति कम हुई है अनेक काम किए गए हैं और रुपये का मूल्य बढ़ा है । क्या इसका श्रेय भारत सरकार को जाता है या क्या यह पौंड स्टर्लिंग या डालर के अवमूल्यन के कारण है जिसके फलस्वरूप हम यह लाभ उठा रहे हैं । यह तो पौंड स्टर्लिंग और डालर के अवमूल्यन का प्रभाव है । यह सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का परिणाम नहीं है कि रुपये का मूल्य बढ़ा है ।

कर्मचारियों की इतनी राशि रोकने से सरकार के खजाने को अधिक लाभ नहीं होगा । जिन कर्मचारियों की राशि अवरुद्ध की जा रही उनकी संख्या अधिकाधिक 30 लाख होगी । देश में स्वेच्छया प्रकटन योजना के बावजद भी काले धन की समानान्तर अर्थ-व्यवस्था बनी हुई है ।

वित्त मंत्री को यह विधेयक वापिस ले लेना चाहिए । यह विधेयक लाने के बजाए उन्हें अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) विधेयक पास करने के बाद जमा की गई वास्तविक धनराशि का विवरण हमें दिखाना चाहिए था कि उन्होंने केन्द्रीय कर्मचारियों से कितना और राज्य सरकार के कर्मचारियों से कितना तथा सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र से कितना धन एकत्र किया है । क्या उन्होंने प्रत्येक कर्मचारी का व्यक्तिगत खाता बनाया है । मूल अधिनियम में उपबन्ध है कि प्रत्येक कर्मचारी इस निधि में अंशदान करेगा और एक सक्षम अधिकारी उसका खाता रखेगा लेकिन किसी सक्षम अधिकारी ने ऐसा कोई खाता नहीं बनाया है । मैं जानना चाहता हूं कि कितने मामलों में दोष पाया गया है और कितने मामलों में दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई है । मेरे विचार में सरकारी क्षेत्र का एक भी मुकमदा अदालत में दायर नहीं किया गया है ।

क्या आपने जबरी छुट्टी के संबंध में भी कोई उपबन्ध किया है ? जबरी छुट्टी तो आम बात हो गई, बड़े उद्योगपति इसका अनुचित लाभ उठाएंगे, बिड़ला बन्धु इस विधेयक का लाभ उठाकर कर्मचारियों का 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता अपने पास रख लेंगे । वह 15 दिनों तक कर्मचारियों की जबरी छुट्टी करेंगे कर्मचारियों को केवल 15 दिन का वेतन मिलेगा और उन्हें अनिवार्य जमा योजना में पैसा जमा कराना पड़ेगा । क्या इस संबंध में आपके पास कोई उपबन्ध है ।

अतिरिक्त महंगाई भत्ते की रोकी गई 50 प्रतिशत राशि के आंकड़े नहीं दिए गए हैं। वित्तीय ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि सरकार आंकड़े बताने की स्थिति में नहीं है लेकिन एक वर्ष से अधिक की अवधि में अनिवार्य रूप से जमा हुई 100 करोड़ की राशि पर 44 करोड़ रुपये ब्याज दिया जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए 4 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और 2.5 करोड़ रुपये का आवर्ती खर्च होगा। मंत्री महोदय को अनुमानित राशि के बारे में कुछ आंकड़े अवश्य देने चाहिए थे।

लागत सूचकांक तैयार करने का तरीका गलत है । इसे सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। अन्यथा केन्द्र, राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को हानि होगी ।

इन खातों को बनाने के बारे में स्पष्ट प्रक्रिया तैयार की जानी चाहिए और सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक कर्मचारी और प्रत्येक श्रमिक को अपने खातों की सत्यापित प्रतिलिपि मिले । क्या आप उन कर्मचारियों के मामले पर भी विचार करेंगे जिनकी जबरी छुट्टी कर दी गई है ?

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे विधेयक में गरीब श्रमिकों के हितों में उचित व्यवस्था करें ताकि मृत्यु के बाद, छटनी के बाद अथवा कारखाना बन्द होने के बाद उसे अपनी जमा राशि मिल सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि मैंने जो प्रश्न उठाये हैं, उन पर विचार किया जाये ।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (कलकत्ता--दक्षिण) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह कानून 1974 में बना था। सरकार केवल कुछ समय तक इसकी अवधि बढ़ाना चाहती है जिससे हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पूर्ण नियन्त्रण में आ जाये ।

इस सम्बन्ध में मैं केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के कर्मचारियों, श्रमिक वर्ग तथा इस देश के तथा समाज के अन्य वर्गों को बधाई देना चाहता हूं जो सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में, सरकारी या अर्ध-सरकारी संगठनों में वेतन भोगी कर्मचारी हैं। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने आपात स्थिति सम्बन्धी सरकारी उपायों का भारी समर्थन किया है।

आपत स्थिति का मूल कारण देश में दक्षिण पंथी प्रतिक्रियावादी तत्वों की गतिविधियां हैं। ये देश में आर्थिक अवरोध पैदा करना चाहते थे। वे वितरण व्यवस्था में बाधा डालना चाहते थे। अतः दक्षिण पंथी प्रतिक्रिया के विरुद्ध हमारा युद्ध राजनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक भी हैं। जबकि आपात स्थिति लगी हुई है और हमने प्रधान मन्त्री का 20-सूत्री कार्यक्रम चलाया है तो ऐसी स्थिति में सरकार को अपने सभी उपायों और नीतियों को वापिस लेना बुद्धिमानी नहीं होगा।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बीच स्वेच्छा सेवानिवृत्ति की नीति की समस्या है। ईमानदार और योग्य कर्मचारी जो देश के प्रति अधिक ईमानदारी से योगदान कर रहे हैं, उनके मामलों पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके विपरीत अधिकांश मामलों में ये कर्मचारी स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति योजना के नाम में अत्यधिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। इन मामलों की सावधानी से जांच की जानी चाहिए। कर्मचारी अपने लिए आन्तरिक सुरक्षा चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि उनकी सेवा सम्बन्धी रिकार्ड को समझने और उसका मूल्यांकन करने के लिए सरकार को एक स्वतंत्र मशीनरी बनानी चाहिए। उनकी कार्यकुशलता यूनियनों या विभागाध्यक्षों की सिफारिशों के आधार पर ही नहीं आंकना चाहिए बल्कि सरकार को इन कर्मचारियों की कार्यकुशलता और कार्यनिष्पादन का अनुमान लगाने और उसे समझने के लिए एक स्वतंत्र-निकाय नियुक्त करना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : हम इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकते।

1974 में अनिवार्य निक्षेप कानून पहली बार पुरःस्थापित किया गया था। उस समय प्रमुख आर्थिक तर्क यह दिया गया था कि चूंकि मुद्रास्फीति बहुत अधिक है और देश में मुद्रा का प्रचलन बहुत हो गया है, अतः मुद्रा प्रचलन को रोकना अनिवार्य हो गया है। इस तर्क के आधार पर श्रमिक वर्ग से अनिवार्य निक्षेप के लिए सहमति देने का अनुरोध किया गया था। अब सरकार हमें बताये कि क्या अब भी स्थिति वैसी ही है।

उद्देश्यों और कारणों सम्बन्धी विवरण में यह बताया गया है कि मूल्यवृद्धि को रोकने का उद्देश्य सिद्ध हो गया है। लेकिन फिर भी इस अनिवार्य निक्षेप योजना को एक वर्ष और बढ़ाने के लिए यह विधेयक अचानक लाया गया है। इस में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे सरकार को आगामी वर्ष अपना कार्य सम्पन्न करने में बाधित करें। कानून में ऐसी कोई बात नहीं है जो यह कहे कि एक वर्ष की अवधि बढ़ायी जानी अन्तिम है।

मुद्रास्फीति को रोकने हेतु मुद्रा प्रचलन पर प्रतिबन्ध लगाने का जहां तक सम्बन्ध है, यह इकतरफा मामला नहीं हो सकता। विधेयक का कोई नैतिक आधार नहीं है क्योंकि यह भेद-भावपूर्ण है। इस विधेयक से श्रमिक वर्ग पर ही बोझ पड़ता है, मानों इस देश में इसी वर्ग से कुरबानी की आशा की जाती है। जबकि दूसरी ओर लाभांश प्रतिबन्ध योजना समाप्त कर दी गई है। इस वर्ष अधिक आय वाले वर्गों पर आयकर कम कर दिया गया है। धन कर में भारी कटौती की गई है। निगमित क्षेत्र और बड़े व्यापार से महान

और निराधार आशा की गई है कि उसके पास खर्च करने योग्य अत्याधिक आय उत्पादन विकास पर लगाई जायेगी । केवल श्रमिक वर्ग के कन्धों पर भारी बोझ डालने और एकाधिकारवादियों तथा बड़े व्यापारियों पर से सभी नियंत्रण और प्रतिबन्ध हटाने की इस नई नीति का औचित्य समझ में नहीं आया है । इसलिए हम इस विधेयक का घोर विरोध करते हैं ।

सरकार हमें यह भी नहीं बता रही है कि इस दो वर्ष की अवधि में इस अनिवार्य निक्षेप निधि में कितना रुपया जमा हो गया है । इस सम्बन्ध में प्राधिकृत रूप में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि आज तक कितना रुपया जमा हो गया है । अतिरिक्त मंहगाई भत्ते में से काटी गई राशि का किसी श्रमिक को कोई रिकार्ड नहीं दिया गया है । आरम्भ में तो यह कहा गया था कि प्रत्येक जमाकर्ता को पास बुक या कार्ड दिया जायेगा जिसपर अतिरिक्त मंहगाई भत्ते से काटी राशि का ब्यौरा दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि उन्होंने मूल्यों पर काबू पा लिया है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है । क्या सरकार इस बात को न्यायसंगत सिद्ध कर सकती है कि कर्मचारी अपने मंहगाई भत्ते में से आधी राशि और एक वर्ष तक क्यों जमा करें । सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति क्यों जोर पकड़ रही है।

इन उपायों से बुरी तरह से प्रभावित होने वाले केवल गरीब श्रमिक ही हैं। यदि मूल्य बढ़ते हैं तो सरकार कहती है कि आधा मंहगाई भत्ता रोका जायेगा । इसका तात्पर्य है कि उनका वास्तविक वेतन काटा गया है । क्योंकि मंहगाई भत्ता मूल्य वृद्धि का अनुमान लगा कर ही दिया जाता है । लेकिन मूल्य वृद्धि होने की अवधि में सरकार कहती है कि उनका आधा मंहगाई भत्ता रोका जायेगा। इस तरह उनका उतना वास्तविक वेतन कम कर दिया जाता है । मूल्य वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ता कम कर दिया जाता है क्योंकि मूल्यों में गिरावट आई है। दोनों ही परिस्थितियों में गरीब श्रमिक पर कुठाराघात किया जाता है । इस बात का पता नहीं है कि क्या गत दो वर्षों में बाजार में वस्तुओं के मूल्यों में आए परिवर्तन के फलस्वरूप लोगों की क्रय शक्ति पर कोई प्रभाव पड़ा है ।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि बोनस खतम करने और अनिवार्य निक्षेपों से श्रमिकों की क्रय शक्ति पर प्रभाव पड़ा है । इसलिए श्रमिकों को बाध्य होकर अपनी और अपने परिवार की आवश्यकता से कम सामान खरीदना पड़ता है । इसके फलस्वरूप बिना बिके सामान का भारी जमाव हो गया है जिस के आधार पर मालिक कहता है कि वह उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगायेगा और इसलिये श्रमिकों की छटनी होती है या उसकी जबरन छुट्टी की जाती है ।

अत्यधिक संगठित वर्ग को व्यर्थ ही इन सभी उपहासास्पद, भद्दे, अदूरदर्शी नौकरशाही उपायों से शत्रु और विरोधी बनाया जा रहा है । श्रमिकों का बोनस काटा जा रहा है यही नहीं उन्हें अनिवार्य निक्षेप योजना में धन जमा करने के लिये भी कहा जा रहा है । उनका मनोबल कम हो रहा है इसके बहुत बुरे राजनैतिक परिणाम होंगे ।

श्रमिकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये । यदि श्रमिकों की जमा राशि को उन्हें लौटाना है तो फिर ये धनराशियां उन्हें नकद क्यों नहीं दी जा रही हैं? आप यह व्यवस्था क्यों कर रहे हैं कि ये धनराशियां 1978 के बाद उनकी भविष्य निधि में जमा कर दी जायेंगी? आप उन्हें नकद क्यों नहीं देना चाहते ?

जब वित्त मंत्री ने बजट पेश किया तो सभी ने यह कहा कि बजट मुद्रास्फीति को रोकेगा। लेकिन देश में उसके विपरीत हो रहा है। यह विधेयक इस बात को ध्यान में रखकर लाया गया है कि मूल्य कम हो रहे हैं जबकि स्थिति यह है कि कीमतें बढ़ रही हैं। सरकार को इस बात को स्पष्ट करना चाहिये।

हम इस विधेयक का विरोध करते हैं।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये मध्याह्न पश्चात् 2 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् मध्याह्न पश्चात् 2 बजे पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at fourteen of the clock.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) संशोधन विधेयक—जारी

Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Amendment Bill—*contd.*

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई—उत्तर-पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं इस बात को नहीं मानता कि यह एक श्रमिक-विरोधी विधान है या इससे श्रमिकों को उनके धन से वंचित किया गया है।

यह बचत का उपाय है, उन्हें अपने धन से वंचित का उपाय नहीं है। वास्तव में अनिवार्य निक्षेप के माध्यम से श्रमिक वर्ग यथार्थ रूप में अपना अंशदान कर रहा है। उन्हें यह धन वापिस दिया जायेगा। यह सही नहीं है कि श्रमिक वर्ग को उसके धन से वंचित रखा गया है। आयोजन परियोजनाओं के माध्यम से राष्ट्र की प्रगति के लिए बचत राशि का उपयोग करने के उद्देश्य से श्रमिक वर्ग से तुरन्त उपभोग के बारे में थोड़ी सी कुरबानी करने के लिए कहा गया है। इस विधान के पीछे यही मूल तर्क है। अतः राष्ट्र के हित में यह एक सराहनीय उपाय है। इससे मुद्रास्फीति पर भी नियंत्रण लगाने में सहायता मिली है। श्रमिक वर्ग को भी इससे लाभ पहुंचा है।

इस विधान का मूल आशय यह है कि मुद्रा प्रचालन पर प्रतिबन्ध लगाने की दृष्टि से कुछ राशि खर्च होने से बचा ली जाये। अब प्रश्न यह है कि चूंकि मूल्य गिर गये हैं और मुद्रास्फीति पर प्रतिबन्ध लगा है, अब उसकी क्या आवश्यकता है ? मुद्रास्फीति को रोकने में देश की सहायता करने के लिए श्रमिक वर्ग प्रशंसा का पात्र हैं। गत दो वर्ष से रोकी गई धन राशि जो सरकार के पास है, राष्ट्र की प्रगति के लिए श्रमिकों का अंशदान है। यह श्रमिक वर्ग की पूंजीगत निधि है। सरकार को अब एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए और इसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में श्रमिक क्षेत्र के शुभारम्भ के रूप में मानना चाहिए। उनकी बचत प्रगति के लिए बढ़ रही है। यह निश्चित ही सम्मान की बात है कि श्रमिक आयोजन परियोजनाओं के लिए अपेक्षित पूंजीगत निधि में अंशदान कर रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में श्रमिक

वर्ग ने राष्ट्र की प्रगति के लिये अंशदान दिया है । जब वह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में निवेश के लिये राष्ट्रीय राजकोष में 4000 करोड़ रुपये का अंशदान करेंगे तो वह इस राशि को लगाने के लिए नीति निर्धारित करने के लिए एक उपयुक्त व्यवस्था करना चाहेंगे। श्रमिक वर्ग को यह पूछने का अधिकार है कि उनका धन किस प्रयोजन के लिए लगाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि यह राशि श्रमिक वर्ग की आवास आदि जैसी आवश्यकतायें पूरी करने के लिए लगाई जानी चाहिए। कोई ऐसा संगठन बनाया जाना चाहिए जिससे श्रमिक वर्ग अपनी राशि निवेश की नीति निर्धारित कर सके ।

योजना की वास्तविक कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में बताया गया है कि जुलाई, 1976 से काटे जाने वाली राशि पर बैंक की ब्याज दर से ढ़ाई प्रतिशत से अधिक ब्याज दिया जायेगा । जोकि साढ़े बारह प्रतिशत होगा। लेकिन यह पता नहीं है कि वास्तव में कितना धन एकत्र होगा । इसका अनुमान लगाना आवश्यक है । अतः हम इस सम्बन्ध में वित्त मन्त्रालय से स्पष्टीकरण चाहते है कि यदि 1976-77 के दौरान सूचकांक 371 पर स्थिर रहा तो काटने के लिए अतिरिक्त मंहगाई भत्ता कहां से आयेगा ? वित्त मन्त्रालय को इस बारे में सही सूचना देनी चाहिए। सरकार को श्रमिकों को यह अधिकार देना चाहिए कि वे अपना राशि निवेश, विशेषकर अपनी आवास की आवश्यकताओं पर निवेश के लिए नीति निर्धारित करें।

अतः मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैंने जो प्रस्ताव पेश किया है उसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि कम से कम विधेयक को परिचालित किया जाए और कार्मिक संघों को इस सम्बन्ध में अपनी राय देने का समय दिया जाए।

सरकार के पास इस समय इस अनिवार्य जमा के अतिरिक्त कितनी राशि पड़ी है ? यह भी हमें पता नहीं कि सरकार यह भुगतान कब करेगी। इस अनिवार्य जमा का हिसाब-किताब ठीक प्रकार रखा जाना चाहिये तथा हिसाब-किताब कर्मचारी के पास रहे तथा उसे यह बताया जाए कि कितना रुपया जमा है और उस पर कितना ब्याज दिया गया है । जिस रुपये को सरकार कर्मचारियों द्वारा खर्च नहीं करने देना चाहती थी उसे सरकार ने स्वयं खर्च किया है। यह सरकार का गोलमाल है । सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिये । इसका कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। सरकार ने कहा कि इस पैसे का उपयोग अच्छे कार्यों में किया गया है । अतः इस विधेयक या अधिनियम को लागू रखने का कोई औचित्य नहीं है।

सरकार का कहना है कि मूल्य गिरे हैं । परन्तु समाचारपत्रों के अनुसार मूल्यों में 2.5 या 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं। वास्तव में मूल्य बढ़ रहे हैं। परन्तु सरकार के कथन के अनुसार, वे घट रहे हैं। वित्त मन्त्री ने वादा किया है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की छठी किस्त देने पर भी विचार हो रहा है। उसका क्या हुआ ?

अनिवार्य जमा की यह योजना उस समय चालू की गई थी जब देश में अत्यधिक मुद्रास्फीति थी । कर्मचारियों ने उस समय कुछ आनाकानी नहीं की । उनका विचार था कि उन्हें जो यह आश्वासन दिया गया था कि यह एक या दो वर्षों के ही लिए है पूरा कर दिया जायेगा । परन्तु अब इस योजना की अवधि को फिर से बढ़ाया जा रहा है ।

जनता की राय जानने के लिए इस विधेयक को परिचालित किया जाना चाहिये या कम से कम इसे एक समिति को सौंपा जाना चाहिये । यह विधेयक और यह योजना दोनों ही गलत हैं । सरकार के अपने कथन के अनुसार ही यदि मूल्य गिर रहे हैं तो फिर इस योजना को क्यों लागू रखा जा रहा है। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

Shri Hari Singh (Khurja) : This scheme will help the employees drawing a fixed salary develop the habit of Saving and Thrift. This scheme is serving its purpose well because in our social structure, it is very difficult to save and it is gratifying to note that saving is being effected because of the scheme.

I hope most of the employees will not draw the amount when it becomes due for repayment to them but will like to deposit it in the provident fund accounts. This will be in the interest of the employees.

This Bill will prove very helpful in the implementation of 20-point economic programme of our Prime Minister, strengthen the economy of the country and will prove to be a boon for the weaker sections of our seciety.

It is not correct to say that the employees are against this scheme. I trust, majo rity of the employees have supported this scheme and they are eager to contribute towards the progress of the country as much as they can.

With these words, I support this Bill.

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। भारत के वित्त मंत्री ने मद्रास में घोषणा की थी कि मुद्रास्फीति पूरी तरह नियंत्रण में आ गई है । यदि ऐसा है तो फिर उस श्रमिक-विरोधी और कर्मचारी वर्ग-विरोधी योजना को एक वर्ष तक और बढ़ाने की क्या आवश्यकता है । अतः यह कदम अनुपयुक्त है और इससे श्रमिक वर्ग की कठिनाई बढ़ेगी।

हाल ही में लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़े हैं, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार दाम गिरे हैं । इसलिये कर्मचारियों का इस सूचकांक में विश्वास समाप्त हो गया है। इन परिस्थितियों में यदि इस विधेयक की अवधि एक वर्ष और बढ़ाई गई तो इससे श्रमिकों की अर्जित मजूरी के वास्तविक मूल्य का ह्रास होगा अतः मैं इसका विरोध करता हूं ।

सरकार को यद्यपि 1,000 करोड़ रुपये इस प्रकार प्राप्त हुए हैं फिर भी उसने सभा को यह नहीं बताया कि इस राशि का उपभोग उत्पादन के लिए किया गया है या अनुत्पादक कार्यों पर किया गया है?

यद्यपि सरकार यह कहती रही है कि आपात स्थिति के कारण मूल्य कम हुए हैं परन्तु ऐसा नहीं है क्योंकि मूल्य पुनः बढ़ने लगे हैं । तो क्या आपात का प्रभाव समाप्त हो गया है या सरकार मूल्यवृद्धि रोकने में असफल रही है ? इस विधेयक को लाकर सरकार ने कर्मचारी वर्ग के विरुद्ध काम किया है और ऐसा करके उसने श्रमिक विरोधी मार्ग अपनाया है । भविष्य निधि की दर बढ़ा कर उसका विकल्प खोजा जा सकता था। इससे कर्मचारी अच्छी बचत भी कर सकते थे और मालिकों को भी अधिक योगदान देना पड़ता। परन्तु सरकार मालिकों को छूना नहीं चाहती । इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निज़ामाबाद) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि मूल्य बढ़ रहे हैं, पर तथ्य यह है कि धान का मूल्य 50 प्रतिशत और दालों का 200 प्रतिशत घटा है। भारत में जहां आय का 80 प्रतिशत भोजन पर व्यय होता है, खाद्यान्नों का मूल्य गिरने पर कर्मचारियों से कुछ लिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर यह तो केवल जमा किया जायेगा तथा बाद में उन्हें लोटा दिया जायेगा।

कर्मचारियों को कुछ बचत करना सिखाया जाना चाहिए। बचत किए बिना वे अपनी आर्थिक स्थिति नहीं सुधार सकते और अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते। इसलिये उनके वेतन से कुछ राशि लेने से वे बचाना सीखेंगे। अतः सरकार ने यह योजना लागू करके अच्छा किया है।

श्रीमती एम० गोडफ्रे (नामनिर्दिष्ट-आंगल-भारतीय) : अनिवार्य जमा योजना 500 रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जो राशि वे घर ले जाते हैं वह उनके परिवार के भोजन के लिए पर्याप्त नहीं है। हां, उच्च आय वालों पर यह योजना लागू की जा सकती है। यदि सरकार कम वेतन पाने वाले उन कर्मचारियों की सहायता करना चाहती है, जो मूल्यों के बढ़ने से बड़ी कठिनाई में पड़ गये हैं, तो उन्हें कुछ अधिक मंहगाई भत्ता दिया जाए और फिर उसका कुछ भाग भविष्य-निधि में जमा कर दिया जाए। इससे निर्धन वर्ग को बढ़े हुए मंहगाई भत्ते का लाभ मिल जायेगा जो अब उन्हें नहीं मिल रहा है।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : हमें मुद्रास्फीति में बचत करके मुद्रा-संकोचन के समय खर्च करना चाहिए। इसलिए इस समय हमें अपने कर्मचारी वर्ग को बचत की ओर प्रवृत्त करना चाहिए। क्योंकि सरकार द्वारा किए गये उपायों से भविष्य में मूल्य गिरेंगे। इसलिये यदि इस समय कर्मचारी बचाते हैं तो कुछ वर्ष बाद उनके रुपये का मूल्य बढ़ जाएगा।

विधेयक के उद्देश्यों और कारण बताने वाले विवरण में कहा गया है कि मूल्य-वृद्धि पर्याप्त सीमा तक रूक गई है। क्या मूल्य में गिरावट के इस रूख को उलट दिया जाये या हम इसी प्रकार लाभ प्राप्त करते रहें? यदि यह 1000 करोड़ रुपया बाजार में आ जाता है तो निश्चय ही वास्तविक मज़दूरी गिर जाएगी, भले ही रुपये के रूप में वह अधिक दिखाई दे।

अतः मेरा विपक्ष और श्रमिक नेताओं से अनुरोध है कि वे ठंडे दिल से विचार करें और इस विधेयक को पूरा-पूरा समर्थन दें।

श्री जी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। यदि वास्तव में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर लिया गया है और मूल्य वृद्धि रुक गई है तो इस संशोधन की क्या आवश्यकता है? इसलिये सरकार एक ओर तो उस बात का श्रेय लेना चाहती है जो उसने नहीं किया है और दूसरी ओर यह अनुभव करते हुए भी कि जो कुछ उसने किया है वह पर्याप्त नहीं है, कमजोर वर्ग को दण्ड देते रहना चाहती है।

हमारे देश में जहां करोड़ों लोगों के पास जीवन निर्वाह के लिये पर्याप्त पैसा नहीं है उनसे बलिदान करने और स्वयं पर नियंत्रण रखने की बात कहना और उसी समय बड़े व्यापारियों और उच्च वेतन भोगी लोगों को खुले हाथ खर्च करने की अनुमति देना उचित नहीं है।

सरकार का कहना है कि बढ़े हुए मंहगाई भत्ते का 50 प्रतिशत 2 वर्ष के लिए नहीं वरन एक वर्ष तक और रोका जाए। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा ही कोई नियंत्रण मालिकों पर भी लगाया गया है? उन लोगों द्वारा किए जा रहे व्यय से पता चलता है कि उन पर आपात स्थिति अथवा विनियमित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था, कुछ त्याग करने की आवश्यकता अथवा अपने खर्च पर स्वतः नियंत्रण लगाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

मैं इस संशोधित विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि यह केवल उन्हीं लोगों पर लागू होता है जो पहले ही से कमजोर हैं और इसमें उनको छोड़ दिया गया है जिन पर प्रतिकूल अर्थव्यवस्था का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है तथा जिनके पास अपनी प्रतिदिन की आवश्यकताओं पर व्यय करने के लिये पर्याप्त पैसा है।

पिछले सप्ताह मन्त्री महोदय द्वारा दी गई रियायतें और इस वर्ष का सामान्य बजट व्यापारियों और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला है। सरकार बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों को एक के बाद एक रियायत देती जा रही है और उसी समय निश्चित आय अथवा वेतन भोगी लोगों पर नियंत्रण लगाती जा रही है। ऐसा क्यों?

यह विधेयक मुद्रास्फीति तथा अन्य समस्याओं के हल के लिए किए जा रहे समन्वित प्रयत्न का एक अंग है। सरकार ने एक अंग पर ही जोर देकर अन्य बातों को क्यों छोड़ दिया है? परिणामतः कर्मचारी एक वर्ष और कठिनाई में रहेंगे।

विधेयक तथा उद्देश्य और कारण सम्बन्धी वक्तव्य में कहीं भी इस प्रकार जमा की गई राशि का किताब रखने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है। कोई ठीक हिसाब-किताब नहीं है और यदि कर्मचारी बीच में मर जाता है अथवा बेरोजगार हो जाता है तो वह यह किस प्रकार जान सकता है कि उसके खाते में कितना रुपया था। यह एक बहुत बड़ा दोष है तथा सरकार इस ओर ध्यान दे, जिससे कर्मचारियों को अपना पैसा वापिस लेने में कठिनाई न हो। अतः मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह): वर्तमान मजदूर ढांचे में बहुत सी असमानताएं है। इसे सुव्यवस्थित करने के लिए हमें अपना पूरा जोर लगाना चाहिए। ऐसा न किए जाने की दशा में वर्तमान विधेयक नियंत्रण कार्रवाई है। मैं इस उपाय का पूरा समर्थन करता हूं क्योंकि इससे 3, 4 या 5 वर्ष के लिए मुद्रास्फीति पर नियंत्रण ही नहीं लगेगा वरन यह कर्मचारियों के लिए भी बहुत हितकारी होगा।

यद्यपि मुद्रास्फीति पर अब नियंत्रण कर लिया गया है, वित्त मन्त्री अर्थव्यवस्था के इस संक्रान्ति काल में कोई खतरा नहीं उठा सकते। उन्हें वे सभी आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे जिससे मुद्रास्फीति फिर से सर न उठाने लगे।

सरकार उन लोगों को जिनसे रुपया लिया जाता है, यह सुनिश्चित कराए कि कितना रुपया काटा गया है तथा उसे कहां जमा किया गया है और उसे कब वापिस दिया जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मन्यम) : इस विधेयक को लाने के पीछे हमारा उद्देश्य वास्तविक मजदूरी को बढ़ाना है । हमें मुद्रास्फीति को नियंत्रत और मूल्यों को कम करना है जिससे कोई व्यक्ति अर्जित धन से अनाज और कपड़े जैसी आवश्यक वस्तुएं अधिक मात्रा में खरीद सके ।

अतः इस विधेयक को किसी वर्ग विशेष की दृष्टि से देखने के बजाय राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा जाये । राष्ट्रीय दृष्टिकोण से वर्तमान स्थिति में यह उपाय अत्यावश्यक है ।

विकासशील देशों की क्या स्थिति है ? उनकी मुद्रा में स्थिरता नहीं है । अन्तर्राष्ट्रीय समाज में रहते हुए हमें विश्व के अन्य भागों में क्या हो रहा है, उसे ध्यान में रखना होगा और इसलिए सुरक्षात्मक उपाय करने होंगे जिससे हम फिर मुद्रास्फीति के चंगुल में न फस जायें। इसलिए हमें मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने पड़े हैं और यह केवल दो तरह ही किया जा सकता है : मांग और सप्लाई की स्थिति को नियंत्रण में रखना । ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब उत्पादन बढ़ाया जाये और अधिक सामान उपलब्ध कराया जाये । हमें मुद्रा की इस प्रकार व्यवस्था करनी होगी जिससे मूल्य न बढ़ सकें । इसी उद्देश्य से 1974 में हमने यह कदम उठाया और उससे हमें अच्छे परिणाम मिले हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह एक समन्वित प्रयास है । उस कार्यक्रम के अन्तर्गत हमने केवल अतिरिक्त परिलब्धियां के भुगतान को छोड़ दिया है। हम उसे भी रोक रहे थे परन्तु इसे छोड़ दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति को अधिक वेतन मिलता है तो उसे भी रोका जाये । उस सुझाव को ठुकरा दिया गया है । परन्तु उच्च वर्ग को एक निश्चित दर से अनिवार्य जमा करना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि हमने समन्वित प्रयास नहीं छोड़े हैं । हम समन्वित रूप से उपाय कर रहे हैं।

पूछा गया है कि क्या लेखे उचित रूप से रखे गये हैं । इस सम्बन्ध में भी आशंकाएं व्यक्त की गई हैं कि यह पैसा कहां गया और किस तरह उसका उपयोग हुआ। ऐसी बात नहीं है कि उस सम्बन्ध में हमारे पास लेखे नहीं हैं। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त और गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पास अतिरिक्त मजूरी की 40.88 करोड़ रुपये की अवरुद्ध राशि जमा पड़ी है और जबकि स्थानीय प्राधिकारियों, केन्द्रीय कर्मचारियों तथा राज्य कर्मचारियों के पास उनकी क्रमशः 3.14 करोड़ रुपये, 0.3 करोड़ रुपये तथा 1.28 करोड़ रुपये की राशि जमा है ।

जहां तक मंहगाई भत्ते का प्रश्न है जिसके लिए यह विधेयक लाया गया है, भविष्य निधि आयुक्त के लेखों में 392 करोड़ रुपये, स्थानीय प्राधिकारियों के लेखों में 50.32 करोड़ रुपये, केन्द्रीय कर्मचारियों तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लेखों में क्रमशः 312.8 करोड़ रुपये तथा 127.93 करोड़ रुपये की राशि दिखाई गई है । इस सारी राशि का कुल जोड़ 929 करोड़ रुपये है।

योजना यह थी कि यह राशि रिजर्व बैंक के पास जमा करा दी जाये और यह उपयोग हेतु न तो सरकार को और न ही किसी अन्य को उपलब्ध कराई जाये । यह सोचना कि यह राशि हवा हो गई है या कोई उसे हड़प लेना चाहता है ठीक नहीं है । यह केवल कल्पित बातें हैं। अतः उस बात का किसी को भय नहीं होना चाहिये कि यह राशि किसी द्वारा हड़प ली गई है और यह वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

हमने मंहगाई भत्ते की तथा अतिरिक्त मजूरी की 50 प्रतिशत राशि अवरुद्ध की है । यदि हम देखें कि इस बचत के बाद कर्मचारियों की क्रय क्षमता 1974 की तुलना में क्या रह जाती है तो हमें पता चलेगा कि श्रेणी 3 के कर्मचारियों की कुल क्रय क्षमता 1974 की तुलना से 14 प्रतिशत अधिक है और श्रेणी 4 के कर्मचारियों की क्रम क्षमता अब 15 प्रतिशत अधिक है । क्या ऐसा होने दिया जाये अथवा हम उन्हें अधिकाधिक मंहगाई भत्ता देते जायें । इससे वास्तविक क्रय क्षमता दिन प्रतिदिन कम होती जायेगी । इतनी बचत के बाद भी निम्नस्तर के कर्मचारियों की क्रय क्षमता में 14 और 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त उस राशि पर $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से ब्याज भी दिया जा रहा है जबकि बैंक में यदि यह राशि जमा की जाती तो 10 प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं मिलता । अतः यह कहना उचित नहीं है कि हम श्रमिक विरोधी रवैया अपना रहे हैं ।

मूल्य नियंत्रण में हमें जो उपलब्धि हुई है हम उससे सन्तुष्ट नहीं हैं । अपितु हमें इस सम्बन्ध में और अधिक सतर्क रहना है और समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करनी है ताकि मूल्य ढांचे, उत्पादन नीति आदि के बारे में औपचारिक उपाय किये जा सकें ।

हमारे पास इस समय हजार करोड़ रुपये की राशि जमा है । हमें इस एक हजार करोड़ रुपये की राशि का किस प्रकार उपयोग करना चाहिये । क्या हम इसे व्यर्थ ही गवां दें अथवा उद्योगों में उसे लगा दें। इस हजार करोड़ रुपये का निवेश कर्मकार क्षेत्र में किया जा सकता है । हमें 3 या 4 ऐसी योजनाएं बनानी चाहियें ताकि कर्मकार उद्योग के वास्तविक मालिक भी बन जायें । हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उद्योग के सबसे लाभप्रद विभाग कर्मकारों को दिये जायें । जब लाखों कर्मकार उद्योग की निवेश प्रक्रिया में भाग लेंगे तो हम स्थिति को पूर्णत : बदलने में समर्थ होंगे ।

यह नहीं समझना चाहिये कि यह विधेयक कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाने के लिए लाया गया है । इसके विपरीत इसका उपयोग श्रम आन्दोलनों को सशक्त बनाने तथा कर्मचारियों को उद्योगों के स्वामित्व में हिस्सा दिलाने के लिए किया जा सकता है । उसके माध्यम से अधिकाधिक निवेश द्वारा हमारी अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा इसमें अधिकाधिक कर्मचारियों को शामिल करके उन्हें अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री बनर्जी का संशोधन संख्या 1 परिचालित किये जाने के लिए सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को उस पर 16 अगस्त, 1976 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :]
The Lok Sabha divided :

पक्ष में : 22
Ayes :

विपक्ष में : 104
Noes :

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।
The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करते हैं ।

खण्ड 2
Clause 2

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं संशोधन संख्या 4 पेश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री दीनेन भट्टाचार्य द्वारा खण्ड 2 पर पेश किये गये संशोधन संख्या 4 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
The Amendment was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ा गया ।
Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3
Clause 3

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं संशोधन संख्या 5 पेश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री दीनेन भट्टाचार्य द्वारा खण्ड 3 पर पेश किये गये संशोधन संख्या 5 को सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
The Amendment was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़े गये।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided :

पक्ष में Ayes :	106
विपक्ष में Noes :	22

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

जीवन बीमा निगम (समझौते में रुपभेद) विधेयक

Life Insurance Corporation (Modification of Settlement) Bill.

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय जीवन बीमा निगम और उसके कर्मकारों के बीच हुए समझौते का उपांतरण करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

बोनस संदाय अधिनियम जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम और राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू नहीं होता है। हाल में जब बोनस अधिनियम में संशोधन किया गया था, सरकार ने उसी समय बोनस अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर की संस्थानों को अनुग्रहपूर्वक संदाय करने के बारे में कुछ निर्णय किये थे। अब इन संस्थानों के कर्मचारियों को उनके वेतन के दस प्रतिशत तक अनुग्रहपूर्वक राशि संदाय की जा सकती थी। यह संदाय केवल उन कर्मचारियों को अनुमत्य होगा जिनका अधिकतम वेतन 1600 रु० मासिक है। संदाय की अधिकतम राशि भी 750 रुपये मासिक वेतन के लिये परिकलित की गई राशि तक सीमित रखी गई है। दूसरे शब्दों में अधिकतम संदाय 900 रुपये तक सीमित है।

तथापि जीवन बीमा निगम के मामले में प्रबन्धकों और उनके श्रेणी तीन और श्रेणी चार के कर्मचारियों के बीच हुए विद्यमान समझौतों के अन्तर्गत इन वर्गों के कर्मचारियों को निगम द्वारा संदाय राशि उनके वार्षिक वेतन (मूल वेतन, विशेष वेतन और महंगाई भत्ता) के 15 प्रतिशत की दर पर दी जानी है।

चूंकि यह समझौते 31-3-1977 तक लागू हैं और इन्हें केवल वैधानिक कार्यवाही से ही रद्द किया जा सकता है इसलिए इन निर्णयों को जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों पर लागू करने के उद्देश्य से यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया है ।

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक अधिनियम, 1976 के उपबन्धों को लागू करने और अन्य सभी कर्मचारियों को अनुग्रहपूर्वक संदाय को 10 प्रतिशत तक सीमित रखने के सरकार के निर्णय के बाद जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को जिन्हें अपेक्षतया अधिक राशि मिल रही है, अपवादस्वरूप रखना कठिन है।

जब बोनस संदाय अधिनियम ने ऐसे समझौतों को जिनमें संशोधित कानून में उपबंधित राशि से अधिक बोनस देने की व्यवस्था है पहले ही रद्द कर दिया गया है तो यह तर्कसंगत ही है कि जिन कर्मचारियों को बोनस के स्थान पर अनुग्रहपूर्वक अदाएगी की जानी है उनके मामले में भी ऐसे समझौतों को रद्द कर दिया जाए ।

बीमाधारी व्यक्तियों के हितों की भी रक्षा की जानी है और इसलिए ऐसा करना और भी आवश्यक है क्योंकि गत कई वर्षों से न तो उनके लिए बोनस में वृद्धि करना और न ही प्रीमियम की दरों को कम करना संभव हो पाया है । अतः जीवन बीमा निगम के व्यय पर सावधानीपूर्वक नियंत्रण रखा जाना है । उपरोक्त पृष्ठभूमि में जीवन बीमा निगम के लिए इन समझौतों में उपबन्धित अधिक राशि की अनुग्रहपूर्वक अदायगी करना संभव नहीं है। समझौते के होते हुए बोनस की अनुग्रहपूर्वक अदायगी की गई थी। मैं अन्य कई उदाहरण दे सकता हूं । समझौते पर पुनर्विचार आरम्भ करना कोई नई बात नहीं है । वस्तुतः राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में कर्मकारों के सामूहिक हित को कुछ चुनीदां श्रेणियों के कर्मकारों के सीमित हित से अधिक वरीयता देनी होती है ।

मैं सभा को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि वास्तविक दरें निर्धारित करने और यदि आवश्यक हुआ तो और समायोजन करने के लिए प्रबन्धक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारतीय जीवन बीमा निगम तथा उसके कर्मचारियों के बीच हुए समझौते का उपांतरण करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय जीवन बीमा निगम तथा उसके कर्मचारियों के बीच हुए समझौते का उपांतरण करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को 16 अगस्त, 1976 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाये।"

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय जीवन बीमा निगम तथा उसके कर्मचारियों के बीच हुए समझौते का उपांतरण करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को निम्नलिखित 9 सदस्यों की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये जो अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

(1) श्री एस० एम० बनर्जी

(2) श्री त्रिदिव चौधरी

(3) श्री प्रसन्नभाई मेहता

(4) श्री समर मुखर्जी

(5) श्री इरा सेझियान

(6) श्री रामावतार शास्त्री

(7) श्री दिग्विजय नारायण सिंह

(8) श्री सी० सुब्रह्मण्यम और

(9) श्री दीनेन भट्टाचार्य।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (वर्दवान) : मंत्री जी ने कहा है कि हमें पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिये परन्तु जब सरकार ही अमीरों का पक्ष ले रही है तो हमें गरीबों का पक्ष लेना पड़ेगा। यह एक घातक विधेयक है। यह सरकार द्वारा कर्मकार विरोधी नीति अपनाये जाने का ताजा उदाहरण है।

इस जनविरोधी उपाय से न केवल जीवन बीमा निगम के कर्मचारी अपने वैध एवं कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेंगे बल्कि इस से सदन जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के ऐसे अधिकारों को समाप्त करने के लिये जिम्मेदार होगा जो अधिकार उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, जिसमें इस समझौते को मान्यता दी गई है, के अन्तर्गत प्राप्त है। यह विधेयक औद्योगिक कर्मकारों की विश्व में मान्यता प्राप्त मांगों के सन्दर्भ में सरकार द्वारा सामूहिक समझौते की अवहेलना का दूसरा उदाहरण है।

ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि इस द्विपक्षीय समझौते में केवल बोनस की बात ही नहीं कही गई है बल्कि इसमें कर्मचारियों की सेवा शर्तों के विभिन्न पहलुओं को भी लिया गया है। यह समझौता लम्बी बातचीत, चर्चा तथा केन्द्रीय सरकार की पूरी जानकारी से हुआ था और बातचीत में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री चव्हाण और श्रम मंत्री श्री रेड्डी ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। यह एक मुश्त समझौते के रूप में है।

समझौते में वेतनमानों, उनके निर्धारण के ढंग, गृह किराया भत्ते, प्रतिपूरक भत्ते, भविष्य निधि अंशदान, उपदान, बोनस, ग्रेड वर्तमान कर्मचारियों के विकल्प तथा समझौते की अवधि के बारे में व्यवस्था की गई है। अब एक विशिष्ट खंड समाप्त करने का प्रस्ताव है। विकृत समझौते को कर्मचारियों पर थोपा जा रहा है।

इस समझौते में भावी घटनाओं को रोकने की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके माध्यम से विशिष्ट पक्ष को हानि पहुंचा कर वर्तमान समझौते को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने के लिए कार्यवाही की गई

है । कर्मचारियों को बोनस आरम्भ से मिलता आ रहा था। अब उसे आंशिक रूप से समाप्त किया जा रहा है। बिना विधायी प्राधिकरण या इस विधेयक के पास होने तक केन्द्रीय सरकार को जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को इस राशि की अदायगी रोकने का अधिकार नहीं ।

लेकिन अब जीवन बीमा निगम न्यायालय में हलफनामा दे रहा है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये सांविधिक अनुदेश के परिणामस्वरूप वह कर्मचारियों को राशि की अदायगी नहीं कर रहा । इसे केन्द्रीय सरकार का अनुचित हस्तक्षेप ही कहा जायेगा ।

गत पांच वर्षों में विशेषकर गत वर्ष जीवन बीमा निगम ने रिकार्ड कारोबार किया है । क्या यह जीवन बीमा निगम कर्मचारियों के सजग तथा निष्ठापूर्ण सेवा के बिना संभव था? क्या सेवाओं का उन्हें यही फल दिया जा रहा है ?

उद्देश्यों तथा कारणों संबंधी विवरण में कहा गया है कि गैर प्रतिस्पर्धा सरकारी क्षेत्र के मामले में अनुग्रहपूर्ण अदायगी की जानी चाहिये । हमें यह जानकारी नहीं दी गयी कि कर्मचारियों को कितनी राशि दी जानी चाहिये । हमें इस विधेयक के बारे में कुछ नहीं बताया गया । वित्त मंत्री ने आज भी इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया ।

मंत्री जी ने कहा कि जहां तक अन्य कर्मचारियों का संबंध है बोनस अधिनियम से बोनस के भुगतान में कुछ परिवर्तन हुए हैं तथा केवल यह लोग ही बेहतर स्थिति में क्यों रहें । क्योंकि एक वर्ग के साथ ज्यादती की गई है तो दूसरे के साथ भी की जाये यह तो कोई तर्क नहीं है ।

अब एक नया तर्क यह भी दिया गया है कि उन लोगों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिये जिनका बीमा हो चुका है । गत वर्ष जीवन बीमा निगम का व्यय अनुपात 18% से कम होकर 15% हो गया था । नये कार्य के कारण व्यय में कमी और लाभ में वृद्धि हुई है । कर्मचारियों की अच्छी सेवा के फलस्वरूप यह लाभ हुआ है ।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई—उत्तर पूर्व): यह सही है कि इस विधेयक के पीछे मुख्य बात यह है कि इसे किस ढंग से तैयार किया गया है । समझौते में एक पक्षीय ढंग से रूपभेद किया गया है और जब विधेयक पेश किया गया तो इस पर रोष प्रकट किया गया है ।

वित्त मंत्री ने कहा है कि बोनस संदाय में ही स्वयं एक ऐसा खण्ड है जो कि कई समझौतों का एकपक्षीय ढंग से रूपभेद करने की शक्ति प्रदान करता है । यह सही है किन्तु वह उन सब समझौतों के संबंध में है जो कि बोनस समझौतों और अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं । ऐसा हो सकता है कि बोनस फार्मूला के अनुसार बोनस 16 या 18 प्रतिशत हो सकता है । वह फार्मूला लोभ बांटने के उद्देश्यों के लिए उपलब्ध हो सकता है । ऐसी परिस्थितियों में यदि अधिनियम के अन्तर्गत किसी गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में संविधान बोनस संविदागत बोनस से कम है तो दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से एक प्रकार की क्षमता या उत्पादिकता बोनस पर सहमत हो जायेंगे ताकि कर्मचारियों को हानि न हो और समझौते के अन्तर्गत कुल राशि का हिसाब किताब रखा जायेगा । अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत एकपक्षीय

ढंग से रूपभेद करने की शक्ति प्रदान करने के पश्चात् भी इसी तरह के समझौते करना संभव है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भी इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां कि संविदागत बोनस सांविधिक बोनस से अधिक है। किन्तु जीवन बीमा निगम को यह सुविधा तथा लाभ उपलब्ध नहीं है।

(श्री पी० पार्थसारथी पीठासीन हुए)

[Shri P. Parthasarthi in the Chair]

यहां जो कुछ दिया गया है वह अनुग्रहपूर्वक अदायगी है। देखना यह है कि यदि कोई निर्णय लेना हो तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कर्मचारियों को पैसे के मामले में किसी तरह की हानि न हो। सरकार का यही दृष्टिकोण होना चाहिये। जब अक्तूबर, 1975 में अनुग्रहपूर्वक अदायगी के लिए सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये निदेश जारी किए गए थे तो उस समय सरकार के लिये यह संभव था कि वह जीवन बीमा निगम संघ तथा प्रबंध को परस्पर बातचीत करने के लिये कहती। बोनस नीति को ठीक करने के लिये सरकार इसमें संशोधन करे या कोई नया समझौता करे।

पता नहीं वित्त मंत्री अक्तूबर से अब तक जीवन बीमा निगम को यह सलाह क्यों नहीं दे पाये। कम से कम अब तो वह ऐसा कर दें और उनसे कह दें कि समझौते के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम ने जो भी वायदे लिए हैं, उनकी वे एकपक्षीय ढंग से घोषणा कर दें, उन्हें कार्यान्वित करें और एक प्रकार की नई बोनस प्रणाली के लिये वातावरण तैयार करें। किन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इससे कर्मचारियों में असंतोष की भावना पैदा हो गई है।

मैं इस विधेयक के मुख्य उद्देश्यों से सहमत हूं। किन्तु साथ ही मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी कमाई में हानि न हो। सांविधिक बोनस फार्मूला में निगम द्वारा कमाये गए लाभ को ध्यान में रखा जाता है। कार्य बढ़ गया है। बोनस अदायगी की क्षमता सांविधिक बोनस फार्मूला के अनुसार होगी न कि किसी अन्य तरीके से। अतः बोनस संदाय की क्षमता को समुचित ढंग से परिभाषित करना होगा।

यदि इस विधेयक को पारित करना ही है तो इसे इस आधार पर पारित किया जाना चाहिए कि वे बोनस प्रणाली को सही रूप दे रहे हैं। जहां तक तरीके का संबंध है, आशा है कि बाद में वे कुछ कदम उठायेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारियों को किसी तरह की हानि न हो और यथा-शीघ्र संभव कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में एक संशोधित समझौता हो। साथ ही जो भी वायदे कभी पूरे नहीं किए गए हैं वे पूरे किए जायें।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक अनुचित और अनैतिक आशय से पेश किया गया है।

इस समझौते में मैं भी शामिल था। इस समझौते पर 24 जनवरी, 1974 को पांच अखिल भारतीय संगठनों, यथा अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय राष्ट्रीय जीवन बीमा कर्मचारी महासंघ, अखिल भारतीय जीवन बीमा कर्मचारी महासंघ और दो अन्य महासंघों ने हस्ताक्षर किए थे। समझौते की शर्तें क्या थीं? दो महीने की बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया कि कुल राशि

6.5 करोड़ रुपये होनी चाहिए । यह समझौता 4 वर्ष तक लागू रहेगा । इस समझौते से कर्मचारियों की सभी मांगे पूरी हो जाती हैं। लेकिन लाभ के आधार पर कोई बोनस नहीं दिया जाये किन्तु निगम अपने श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के कर्मचारियों को कोई और बोनस दे सकता है जो वेतन का 15 प्रतिशत होगा। किन्तु हम यह कभी अनुमान नहीं कर सकते कि इस विशेष समझौते को, जिस पर सभा में कोई चर्चा तक नहीं हुई और जिसे कभी सभा पटल पर नहीं रखा गया, यह सभा उसे रद्द कर दे। हमें यह समझौता रद्द करने के लिए एक विधान पास करना होगा। परन्तु किसी भी स्थिति में सदन से परामर्श नहीं दिया गया है। इसकी घोषणा तक नहीं की गई।

वित्त मंत्री महोदय ने यह कह कर कि कई समझौतों में रूपभेद किया गया है और कई समझौतों को रद्द किया गया है, इस विधेयक को उचित और न्यायसंगत बनाने का प्रयत्न किया है। लेकिन इन समझौतों को कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए रद्द किया गया है न कि उन्हें हानि पहुंचाने के लिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को हानि हुई है और उनका 15 प्रतिशत बोनस कम हुआ है। पता नहीं यह विधेयक क्यों लाया गया है।

मंत्री महोदय ने अपने भाषण के अन्त में कहा है कि बोनस और अन्य बातों का निर्धारण करने के लिए कर्मचारियों से बातचीत करने के लिए प्रबंधकों को अनुदेश जारी कर दिए जायेंगे। लेकिन बातचीत पहले क्यों नहीं की जाये ? यदि इस विधेयक को इस महीने की 25 या 26 तारीख को पेश किया जाता तो आसमान नहीं गिर जाता। अध्यक्ष महोदय ने भी कहा है कि इस विधेयक को आज पेश नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा है कि वित्त मंत्री के साथ बातचीत करने के लिए सदस्यों को अवसर दिया जायेगा फिर हमारे साथ कोई चर्चा नहीं की गई है ? आपातस्थिति, आसुंका और डी० आई० आर० का भय पैदा कर कर्मचारियों से कहा जा रहा है कि वे अपना 15 प्रतिशत बोनस छोड़ दें।

जीवन बीमा निगम ने 1956 से 1976 तक बहुत लाभ कमाया है । अतः कर्मचारी भी इस लाभ का कुछ अंश लेने के अधिकारी हैं। वे अधिक नहीं चाहते।

मंत्री महोदय का कहना है कि जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को देश में सबसे अधिक वेतन मिलता है। लेकिन मुझे पता नहीं कि उनका वेतन सर्वाधिक है।

मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक पर जनमत प्राप्त करने के लिए इसे परिचालित किया जाये, जिससे जनता को पता लगे कि सरकार अपने ही समझौतों को रद्द कर रही है। लेकिन सरकार यह नहीं होने देगी। इससे हमारे संसदीय लोकतंत्र पर कलंक लग जायेगा। संसदीय लोकतंत्र क्या है ? आपका बहुमत है। इसलिए आप इस समझौते को रद्द कर सकते हो । पहली अप्रैल से कर्मचारी 15 प्रतिशत प्राप्त करने के हकदार हैं।

आम बीमा कम्पनी के कर्मचारियों के बारे में कहा गया है कि इन्हें 9 प्रतिशत बोनस मिल रहा है। लेकिन वहां ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। हमें इसकी तो कोई चिंता नहीं है किंतु इसके बाद और कोई समझौता नहीं होगा। यहां सभी द्विपक्षीय समझौतों का अन्त है। फिर भी मैं इस विधेयक का घोर विरोध करता हूं।

श्री के० सूर्यनारायण (ऐलूरू) : मुझे इस बात का खेद है कि पालिसी धारियों के हितों के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। ये पालिसी धारी जीवन बीमा निगम के मेरुदण्ड है। केवल इतना ही कहा गया है कि 1973—75 के दौरान जीवन बीमा निगम के कार्य व्यापार में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन इसके साथ व्यय भी बढ़ा है। कहा गया है कि 1973 को कुल व्यय अनुपात 27.58 प्रतिशत था जबकि यह बढ़कर 30.45 प्रतिशत हो गया था। हर एक व्यापार में वृद्धि के साथ व्यय में गिरावट आनी चाहिए। लेकिन इन सबके बावजूद भी ये इस तरह के तर्क देते हैं मानों वे श्रमिक वर्ग के हितचिंतक या एजेंट हैं ।

1956 में बीमा का राष्ट्रीयकरण करने पर आज्ञा की गई थी कि व्यय में कमी होगी और कुशलता बढ़ेगी। परन्तु कार्यकुशलता नहीं बढ़ी। और पालिसी-धारियों को, जिनपर बीमा की उन्नति आधारित है, उचित सेवा नहीं मिलती ।

सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् चार कंपनियां अपना पंजीकरण करके केन्द्रीय संगठन के मार्गदर्शन में सामान्य बीमा निगम में सम्मिलित हो गईं। वे अब सेवा के क्षेत्र में एक दूसरे से स्पर्धा कर रही हैं। यही नीति जीवन बीमा निगम में भी अपनाई जानी चाहिए। यदि इस विधेयक से कोई कठिनाई उत्पन्न होगी तो सरकार बातचीत करके शांतिपूर्ण ढंग से उन्हें हल करने के लिए तैयार है।

बीमा कर्मचारियों को चाहिए कि वे अच्छा काम करें और पालिसी धारियों को उचित सेवा प्रदान करें।

पहले औसत आय 25 वर्ष थी और उस समय जो किस्त की दर तय की गई थी आज भी वह ही चली आ रही है जबकि अब औसत आय 40 वर्ष है। इसे घटाया जाए। जीवन बीमा निगम को होने वाली आय के आधार पर सरकार निगम के कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को उचित वेतन दे सकती है।

Shri Bharat Singh Chowhan (Dhar) : I have come here to oppose the Bill. Government want to go back unilaterally on a bipartite agreement. This unilateral annulment of the agreement will result in loss of lakhs of rupees to the employees of L.I.C. This Bill also proves that the Government have adopted an indifferent attitude to the employees.

Government is setting a bad example before the country by annulment of this agreement. It means that Government has scant regard for its commitments. This will result in loss of credibility of the Government and create an atmosphere of distrust between the Government and the employees. This Bill tantamounts to a conspiracy against the employees.

Government should abide by the agreement and the present agreement should be allowed to expire in 1977. After this, a new agreement can be made in consultation with the trade unions leaders and representatives of L.I.C. This will ensure co-operation of the employees and their interest will also be safeguarded.

Sardar Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur) : The agreement under discussion is effective from 1st April, 1973 and is to continue till 1977. The government could have waited for one more year and allowed the agreement to expire of its own. But government in its

own wisdom, chose not to wait till the expiry of the period and have set aside the agreement with retrospective effect. It is difficult to understand the logic of it. Because, firstly, even if the agreement is allowed to continue to run its full course, the money involved in payment is not very substantial. And, that too, is going in the hands of employees. The Government, who is committed to the welfare of the labour should not have grudged it. Further, there is no reason to discontinue bonus from a retrospective date. The bonus.

However, I will now suggest that employees of L.I.C. should be given more facilities. Their rate of provident fund contribution should be raised and medical and travelling facilities should be improved.

Government should take the employees into confidence and should arrive at a mutual agreement by consulting their representatives. This will ensure smoother working of the corporation.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : कोई निर्णय लिए जाने से पहले हमें प्रतिवेदन में दिए गये आंकड़ों पर विचार करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों को उठाना हमारा पहला काम है। तथा उनके हितों को हमें पहले देखना चाहिए।

31 मार्च, 1975 को जीवन बीमा निगम के कुल कर्मचारियों की संख्या 58,540 थी। इनको दिये जाने वाले वेतन की कुल राशि बहुत अधिक थी। उनके वेतन बिलों की कुल राशि 93 करोड़ रुपये थी। इसका अर्थ यह है कि औसतन प्रति माह प्रति कर्मचारी को 1000 रुपये से अधिक वेतन मिलता था। देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो गरीबी की रेखा से निम्न स्तर का जीवन बिता रहे हैं। यह महसूस किया जाना चाहिए हम पहले उन लोगों की और ध्यान दें।

जैसा कि बार-बार कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र में भी, जहां कि भारत का राष्ट्रपति एकमात्र अंशधारी होता है, हमारे उपक्रमों में वेतन-मानों में असमानता है।

सरकार ने अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों के युक्तियुक्तकरण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है, विशेषकर सभी क्षेत्रों में। आशा है कि शीघ्र ही सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की कार्मिक नीति पर गहराई से विचार किया जायेगा और कोई सार्थक निर्णय लिया जायेगा।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी (कलकत्ता—दक्षिण) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं इसका अर्थ यह नहीं कि मैं कर्मचारियों के संघर्ष के विरुद्ध हूं, परन्तु मैं समझता हूं कि अब हमें उचित और अनुचित संघर्ष में भेद करना चाहिए। मैं कर्मचारियों के नेताओं से भी अपील करता हूं कि वह स्थिति पर समग्र रूप में विचार करें न कि व्यक्तिगत या वर्ग विशेष के रूप में।

हमारे देश में कर्मचारियों का नेतृत्व सफेद-पोशों के हाथ में है और वे केवल अपने हित ही देखते हैं क्योंकि उनकी संख्या अधिक है। सफाई कर्मचारियों का हितचिंतक कोई नहीं होता। और इस प्रकार संघर्ष करने के कारण हमने पूंजीपतियों के हाथ ही मजबूत किए हैं।

मुझे यह देख कर दुःख हो रहा है कि सरकार उस समझौते को रद्द करने जा रही है जो उसके और कर्मचारियों के बीच हुआ था। परन्तु यह स्थिति आई क्योंकर ? यह स्थिति जो आज सामने है वह भूतकाल के नेताओं के गलत निर्णय का परिणाम है। और अब क्योंकि हमें उस गलत निर्णय का पता चल गया है तो उसे ठीक करना हमारा कर्त्तव्य है तथा इसमें सबको सहयोग देना चाहिए।

तत्पश्चात लोक-सभा गुरुवार, 20 मई 1976/30 वैशाख, 1898 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Thursday, May 20, 1976/ Vaisakha 30, 1898 (Saka).

MGIPRRND—T.S.S.-I—11 LSS/76—6-9-76—200